दिनांक12मार्च2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

जोन 02 के दो स्थानों पर कुर्की करने पहुंची निगम की टीम, कुर्की की कार्रवाई से बचने बकायादारो ने जमा की राशि

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लंबे समय टैक्स नहीं देने वाले बकायादारों के यहां कुर्की की कार्यवाही करने निगम का अमला जोन 02 के 2 स्थलों पर पहुंची। सड़क 18 में स्थित जायसवाल डेयरी फार्म के संचालक और कोहका रोड स्थित ज्योति दवाखाना के संचालक कुर्की की कार्यवाही से बचने के लिए बकाया राशि मे से राशि तत्काल जमा किए और शेष राशि शीघ्र ही जमा करने लिखित में आवेदन दिए। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन स्वामियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किए गए हैं इन्हें पहले 173 एवं 174 के तहत नोटिस भी दिया जा चुका है तथा कई बार राशि वसूली के लिए संपर्क भी किया गया फिर भी बकाया कर जमा नहीं किया गया जिस पर निगम ने कुर्की करने का सख्त निर्णय लिया। कुर्की/वसूली के लिए निगम के कुर्की अधिकारी एवं कुर्की दल आज केम्प- 1 में जायसवाल डेयरी फार्म के संचालक दिलीप लक्ष्मीनारायण जायसवाल के यहां पहुंचे और निगम के राजस्व अमले द्वारा बकायादारो को बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण दुकान को सील करने की बात कही जिस पर बकायादार ने 45000 नगद एवं 41283 रूपए का चेक तुरंत प्रदान किए। इसके बाद निगम के कुर्की दल के अधिकारी कोहका रोड स्थित ज्योति दवाखाना पहुंची। दवाखाना के बकायादार डाॅ.आर्य ने 21559 रूपए जमा कराए तथा शेष बकाया राशि को मार्च महीने के भीतर जमा करने लिखित में आवेदन दिए।

जनसम्पर्क अधिकारी